



फाइल संख्या० डीएसडब्ल्यू/1-6/हिप्रकेवि/18/ 1575-1590
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय / Office of the Dean Students' Welfare

धर्मशाला - 176215

14 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

1. विश्वविद्यालय में 14 विभिन्न स्कूलों के अंतर्गत 41 विभाग/केंद्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से विभिन्न विभागों में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अनुसन्धान डिग्री कार्यक्रम तथा अन्य विभागों में स्नातकोत्तर और शोध डिग्री कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
2. स्कूलों के विभिन्न विभागों/केंद्रों के अध्ययन कार्यक्रमों में नामांकित स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध डिग्री के विद्यार्थियों की संख्या में समरूपता नहीं है। अध्यादेश सं. 45-3(क) के प्रावधानों के अनुसार 20 नामित और 20 निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध स्लॉट की संख्या को नामांकित विद्यार्थियों के अनुपात में विभिन्न स्कूलों में वितरित किया जाएगा। हि.प्र.के.वि. के अध्यादेश सं. 45-5 (ख) के प्रावधान के अनुसार जहां दो स्कूलों, जिन्हें निर्वाचन के लिए कम से कम एक-एक स्लॉट और नामांकन के लिए एक-एक स्लॉट के आबंटन के लिए इकट्ठा किया गया है, वहां जिस स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी, उस स्कूल के अधिष्ठाता दोनों स्कूलों के लिए निर्वाचन (रिटर्निंग) अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। चूंकि विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विद्यार्थी कम होने के कारण इस स्कूल को पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान के साथ, पर्यटन यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल को स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ के साथ तथा शिक्षा स्कूल को मानविकी स्कूल के साथ इकट्ठा किया गया है।

विभिन्न स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों, विभिन्न स्कूलों से नामित किए जाने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न स्कूलों से निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का विवरण इस प्रकार है:

संख्या	स्कूल	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	नामित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	निर्वाचित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या
1.	वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन स्कूल	465	3	3
2.	पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल+ इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल	169	1	1
3.	भाषा स्कूल	375	3	3
4.	पत्रकारिता, जनसंचार एवं नवमीडिया स्कूल	96	1	1
5.	जीव विज्ञान स्कूल	293	2	2
6.	गणित, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल	236	2	2
7.	भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान स्कूल	304	2	2
8.	समाज विज्ञान स्कूल	394	3	3
9.	पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य प्रबंधन स्कूल+विधि अध्ययन स्कूल	139	1	1
10.	प्रदर्शन और दृश्य कला स्कूल	181	1	1
11.	शिक्षा स्कूल+मानविकी स्कूल	159	1	1
	कुल	2811	20	20

3. अध्यादेश 45-5(क) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्कूलों के अधिष्ठाता विद्यार्थी परिषद के निर्वाचन के लिए जिम्मेवार होंगे और संबंधित स्कूलों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी भी होंगे।
4. लिंगदोह समिति रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद से निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी।
5. छात्र परिषद के निर्वाचन की विस्तृत समय सारिणी इस-प्रकार है:

अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद की सदस्यता हेतु निर्वाचन समयसारिणी-			
क्र.सं.	कार्य विवरण	तिथि एवं समय	दिन
1.	निर्वाचन के लिए अधिसूचना का जारी होना	14.10.2026, पूर्वाह्न 10:00 बजे	बुधवार
2.	स्कूलवार मतदाता सूची का लगाया जाना (नामांकित विद्यार्थी)	14.10.2026, अपराह्न 03:00 बजे	
3.	मतदाता सूची में संशोधन के लिए निवेदन की प्राप्ति	15.10.2026, दोपहर 01:00 बजे	गुरुवार
4.	स्कूलवार अंतिम मतदाता सूची को लगाया जाना	15.10.2026, अपराह्न 05:00 बजे	
5.	नामांकन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	16.10.2026, दोपहर 12:00 बजे से	शुक्रवार
6.	नामांकन भरने की अंतिम तिथि	16.10.2026, अपराह्न 05:00 बजे तक	
7.	नामांकन पत्रों का परीक्षण	19.10.2026, दोपहर 12:00 बजे से	सोमवार
8.	स्कूलवार उम्मीदवारों की सूची को लगाया जाना	19.10.2026, अपराह्न 05:00 बजे	
9.	नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	21.10.2026, दोपहर 12:00 बजे	बुधवार

Handwritten signature and date 14/10/26

10.	स्कूलवार उम्मीदवारों की अंतिम सूची	21.10.2026, अपराह्न 03:00 बजे	
11.	चुनाव प्रचार का प्रारंभ	21.10.2026, अपराह्न 03:00 बजे से	
12.	चुनाव प्रचार बंद होने की तिथि एवं समय	22.10.2026, अपराह्न 05:00 बजे तक	गुरुवार
13.	मतदान के प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि व समय	23.10.2026, पूर्वाह्न 09:00 से दोपहर 01:00 बजे तक	
14.	मतों की गणना	23.10.2026, दोपहर 02:00 से 04:30 बजे तक	शुक्रवार
15.	परिणामों की घोषणा	23.10.2026, अपराह्न 05:00 बजे	
16.	निर्वाचित उम्मीदवारों की अधिसूचना	23.10.2026, अपराह्न 05:15 बजे	

6. सभी विद्यार्थियों द्वारा अध्यादेश सं. 45 "हि.प्र.के.वि. विद्यार्थी परिषद के निर्माण के लिए नियम" में दी गई आचार-संहिता का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आचार-संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर हि.प्र.के.वि. के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


 प्रो. सुनील कुमार
 अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रति: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अधिष्ठाता अकादमिक, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
3. माननीय कुलपति महोदय के सचिव, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
4. सूचना पट्ट (सभी शैक्षणिक परिसर तथा छात्रावास)।
5. सभी संकायों के अधिष्ठाता, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला।
6. एसोसिएट अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सप्त सिन्धु परिसर, देहरा तथा धौलाधार परिसर -1 & 2, धर्मशाला।
7. कुलानुशासक, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रोवोस्ट, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
9. छात्रावासों के वार्डनों को सूचनार्थ प्रेषित।
10. परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
11. पुस्तकालय-अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
12. विल्ल अधिकारी, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।
13. माननीय कुलपति महोदय के सचिव, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
14. सहायक कुलसचिव- कुलपति सचिवालय, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
15. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. जनसंपर्क अधिकारी, हि.प्र.के.वि. को सूचनार्थ प्रेषित।


 अधिष्ठाता छात्र कल्याण 14/11/26